


28/8/24 पत्रावली पेश हुई। वकील पदाधिकारी प्रतिवादी स. 2, 3, 6 को
तामिल शुद्ध सप्त प्राप्त। प्रति-स. 5 के सप्त अक्षरात्मक प्राप्त।
प्रति स. 1 व 4 के सप्त अक्षरात्मक या अक्षर तामिल प्राप्त नहीं।
अतः पत्रावली प्र. स. 1 व 4 के सप्त हेतु दि. 20/11/24 को पेश


उपरवण्ड अधिकारी
किशनगढ (अजमेर)

25/11/24

पत्रावली पेश हुई। वकील वादी अनुण। वादी स्वयं वी
अनुण। वकील वादी व वादी को शाम 06:00 बजे
तक एक-एक कर तीन बार आवाज लगाई गयी
परन्तु वे अनुपस्थित रहे। चूंकि वकील वादी एवं
वादी अनुपस्थित रहे हैं अतः वादी का वाद इसी
स्तरीय आदेश 9 नियम 3 सी. जी. सी. के तहत
अक्षर क्षमती कक्ष पैली में खारिज किया जाता है।
पत्रावली फैसल शुमार दोहरा नोट से कम लेकर
दाखिल पत्र हो।

उपरवण्ड अधिकारी
किशनगढ (अजमेर)

